निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 28 / 2022
दायरा दिनांकः–22.04.2022
निर्णय दिनांकः–20.11.24

उनवान

1. मुस0 सुमित्रा आयु 33 वर्ष पुत्री जगमोहन जाति मीणा निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामयिंह आयु 45 वर्ष आत्मज काना जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मुस0केसर आयु 75 वर्ष बेवा काना जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. कैलाश आयु 35 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. धनराज आयु 30 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. पवन आयु 27 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. बतुल आयु 55 वर्ष बेवा रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. चतरा आयु 66 वर्ष आत्मज प्रभु जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. रामप्रसाद आयु 61 वर्ष आत्मज प्रभु जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. रामभरोस आयु 35 वर्ष आत्मज माणकचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. मूर्ति बेवा माणकचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
11. सरकार जर्ये हल्का पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
12. उप पंजियन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,183,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः–20.11.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,183,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में भूमि खसरा नम्बर 217 रकबा 11 बिस्वा अवस्थित है, जो पूर्व में किशना–गोपाल पिसरान देवा जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जिला बारा (राज०) के नाम खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रहीं थी। उक्त वर्णित भूमि को वादनी के पिता जगमोहन ने उक्त खातेदारान किशना–गोपाल से जर्ये रजिस्ट्री दिनांक 1/05/1978 को बिलएवज 1000/– रूपयों में खरीद कर भूमि पर आधिपत्य प्राप्त किया था. जो इतकाल न0 256 से वादनी के पिता जगमोहन के खातेदारी में दर्ज की गई. जब से दी उक्त वर्णित भूमि वादनी के पिता जगमोहन के कब्जे काश्त में उसके जीवन पर्यन्त तक चली आ रही थी वादनी के पिता जगमोहन का स्वर्गवास सन् 1989 को हो चुका है. जिसकी जायज वारिस तथा कायम मुकाम एक मात्र पुत्री वादनी ही होने के कारण उक्त वर्णित भूमि की वैधानिक एवं कानूनी तोर पर स्वामी मालिक तथा खातेदार है। वादनी अपने पिता जगमोहन की मृत्यु के समय नाबालिग होने के कारण उक्त वर्णित भूमि को वादनी के पिता के भाई काना एवं प्रतिवादीगण कम संख्या 7 व 8 कमशः चतरा–रामप्रसाद तथा मृतक माणकलाल का पुत्र अर्थात् वादनी का भतीजा प्रतिवादी कम संख्या 9 रामभरोस तथा काकी मूर्ति एवं दादी पारा के चार्ज में सभलाई गई उक्त वर्णित व्यक्ति उक्त भूमि का लाभांश वादनी को कभी फसल एवं कभी नगद के रूप में वादनी को अदा करते रहे। वादनी के नाबालिग होने का नाजायज लाभ उठाते हुए प्रतिवादी कम संख्या 11 तहसीलदार छबडा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारीयों से सांठ–गांठ कर वगैर सूचना तथा बगैर जानकारी तथा बगैर अनुमति वादनी के चुपचाप एक पक्षीय तौर पर वादनी के पिता जगमोहन की मृत्यु के पश्चात् काना तथा प्रतिवादीगण कम संख्या 7 ता 9 तथा मूर्ति एवं पारा ने अवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीको से इतकाल नम्बर 362 तस्दीक करवाकर उक्त वर्णित भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया. जिसका कि उनको किसी प्रकार का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधि कार प्राप्त नहीं था, और ना ही प्रतिवादी कम संख्या 11 तहसीलदार छबडा को वगैर सूचना तथा बगैर जानकारी तथा बिना अनुमति वगै० सुनवाई वादनी के मृतक खातेदार जगमोहन के वारिसान की जांच किये बिना ही उक्त भूमि का इंतकाल नम्बर 362 उक्त वर्णित व्यक्तियों के पक्ष में तस्दीक कर भूमि को उनकी खातेदारी में चुपचाप एक पक्षीय तोर पर दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, अतःउक्त इंतकाल अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से तस्दीक किये जाने के कारण उक्त इंतकाल को वगै० अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित कराकर उसको निरस्त कराने एवं भूमि को वादनी अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने की वैधानिक एवं कानूनी तोर पर अधिकारणी है। काना का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान प्रतिवादीगण कम संख्या 1 व 2 है. काना का एक पुत्र रामकल्याण भी था. जिसका स्वर्गवास काना की मृत्यु के पूर्व ही चुका था. अतः रामकल्याण के जायज वारिस तथा कायम मुकामान प्रतिवादी कम संख्या 3 लगायत 6 है. मुस० पारा का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उक्त वर्णित भूमि मौजुदा समय में काना तथा प्रतिवादीगण कम संख्या 7 लगायात 10 की खातेदारी में दर्ज है. जिन्होंने वादनी को उक्त भूमि का लाभाश गत् 5 वर्षों से देना बंद कर और वादनी के ससुराल आंखाखेड़ी में रहने का नाजायज लाभ उठाते हुए भूमि पर अधिपत्य कर लिया। वादनी ने प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 10 जो कि मौजुदा समय में उक्त वर्णित भूमि पर जन्निया तौर पर अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीकों से काबिज है, से कई मर्तबा उक्त वर्णित भूमि पर से अपना आधिपत्य में छोडकर भूमि को वादनी के आधिपत्य में संभलाये जाने एवं भूमि को वादनी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वह टालमटूल करते रहे अंत में दिनांक 20/02/2022 को पुनःअनुरोध करने पर प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 10 ने भूमि पर से अपना अधिपत्य छोडने एवं भूमि को वादनी के अधिपत्य में संभलाये जाने से कतई इनकार कर भूमि को अन्यत्र रहन, बेय तथा हस्तान्तरण करने की वादनी को धमकी की अत. ही दिनांक 20/02/2022 बिनाय मुखासमत वाद कायम किया जाता है। यदि प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 10 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नही किया गया तो वह अवैधानिक तथा गैरकानूनी तौर पर प्राप्त खातेदारी के आधार पर भूमि को अन्यत्र रहन, बेय तथा हस्तान्तरण कर देगे, जिसके फलस्वरूप वादनी को दीगर मुकदमे बाजियो मे मशरूफ होकर जेरबार होना पडेगा और वादनी को भंयकर रूप से आर्थिक क्षति होगी। जिसकी पूर्ति होना नितांत असम्भव हो जावेगा। अतः वादनी प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने की वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। वादनी ने प्रतिवादी कम संख्या 11 तहसीलदार छबडा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारीयों से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूमि को वादनी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वादनी की कोई सुनवाई नहीं की अंत मे दिनांक 14/09/2021 को पुनः अनुरोध करने पर प्रतिवादी कम संख्या 11 तहसीलदार छबडा द्वारा खातेदारी का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करने की वादनी हिदायत दी। वादनी उक्त वर्णित भूमि पर अपने आपको खातेदार घोषित कराने एवं भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने तथा प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 10 जो कि अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से प्राप्त खातेदारी के आधार पर भूमि पर काबिज है, को भूमि से बेदखल कराने एवं भूमि पर वादनी आधिपत्य प्राप्त करने की वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारणी है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नही होने के कारण जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2030–33 खाता संख्या 13 नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2038–41 खाता संख्या नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2043–46 खाता संख्या 46 नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2047–50 खाता संख्या 17 नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 15 नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 13 नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1978 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में सुमित्रा,रमेश कैलाश का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादीया का कथन है कि विवादित, आराजी वाके ग्राम कुण्डी तहसील छबडा में स्थित है। जो पूर्व में किशनागोपाल पुत्र देवा मीणा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे थी उक्त भूमि वादनी के पिता जगमोहन ने खातेदार किशना गोपाल से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1978 को 1000/– में खरीद की थी जो नामान्तरण संख्या 256 से वादनी के पिता जगमोहन के खातेदारी में दर्ज की गई। तब से वादनी के पिता के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादनी के पिता जगमोहन का स्वर्गवास सन् 1989 को हो चुका है जिसकी जायज वारिस एक मात्र पुत्री वादनी है जायज वारिस होने से उक्त भूमि की कानूनी तोर पर स्वामी व मालिक है। वादनी अपने पिता जगमोहन की मृत्यु के समय नाबालिंग थी वादनी के पिता जगमोहन के भाई काना एवं प्रतिवादी क्रम 7,8,9 को संभला दी गई। उक्त भूमि का लाभांश कभी फसल तो कभी नकद के रूप में देते रहें। वादनी के पिता जगमोहन की मृत्यु के पश्चात् काना व प्रतिवादी क्रम 7 ता 9,10 एवं पारा ने अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से नामान्तरण संख्या 362 तस्दीक करा लिया। उक्त नामान्तरण मृतक खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जगमोहन के वारिसान की जॉच किये बिना तस्दीक किया गया है जो काबिल खारिजी है वादनी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2030–33 खाता संख्या सम्वत् 2038–41 खाता संख्या 13 में खसरा नम्बर 217 रकबा 11 बिस्वा किशना, गोपाल पिसरान देवा कोम मीना के खातेदारी में दर्ज थी। नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2043–46 खाता संख्या 46 में जगमोहन पुत्र प्रभुलाल कोम मीना का नाम दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 13 से 17 में नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 29.04.1989 से मृतक जगमोहन के स्थान पर भाई काना, चतरा रामप्रसाद पुत्र प्रभू व रामभरोस नाबालिंग पुत्र माणकचन्द मूर्ति बेवा माणकचन्द एवं पारा का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2047–50 में काना,चतरा रामप्रसाद पुत्र प्रभु रामभरोस नाबालिंग पुत्र माण्कचन्द मूर्ति बेवा माणकचन्द पारा बेवा प्रभु कोम मीना दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 15 सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 13 में काना, चतरा, रामप्रसाद पुत्र प्रभु रामभरोस पुत्र माणकचन्द हिस्सा 5/5 एवं बेवा माणकचन्द हिस्सा 1/6 कोम मीना दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी किशना,गोपाल पिसरान देवा मीना के खातेदारी में थी। उसके बाद वादनी के पिता द्वारा दिनांक 01.05.1978 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खातेदार किशना, गोपाल पुत्र देवा से खसरा नम्बर 217 रकबा 11 बिस्वा 1000/– में क्रय किया जाना पाया जाता है। क्रय के बाद वादनी के पिता जगमोहन के खातेदारी में दर्ज हुई। जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2043–46 खाता संख्सा 46 में जगमोहन पुत्र प्रभुलाल मीना का नाम दर्ज हुआ। जगमोहन की मृत्यु के बाद विवादित आराजी नामान्तरण संख्या 362 से काना,चतरा,रामप्रसाद पुत्र प्रभु, रामभरोस पुत्र मूर्ति बेवा माणकलाल पारा बेवा प्रभुलाल के नाम दर्ज किया गया। इसके वाद से विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी में चली आ रही है। वादी यह साबित करने में विफल रहे है कि उन्हे किस कानून के तहत पैतृक संपति में अधिकारों की घोषणा की जाए। चूंकि वादिनी अनुसूचित जनजाति (मीणा) की महिला है अतः कौनसी विधि/रीति के तहत उन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाए। इस प्रकरण में, नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 29.04.1989 के तहत वादिनी के पिता की भूमि का वैध हस्तांतरण हो चुका है अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित), 2005 के तहत भी वादिनी का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा, प्रार्थिया का वाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 28 / 2022	धारा 88,89,91,183,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 20.11.24

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–वादी | अभिभाषक प्रतिवादी:–

वाद शीर्षक

उनवान

1. मुस0 सुमित्रा आयु 33 वर्ष पुत्री जगमोहन जाति मीणा निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामयिंह आयु 45 वर्ष आत्मज काना जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मुस0केसर आयु 75 वर्ष बेवा काना जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. कैलाश आयु 35 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. धनराज आयु 30 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. पवन आयु 27 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. बतुल आयु 55 वर्ष बेवा रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. चतरा आयु 66 वर्ष आत्मज प्रभु जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. रामप्रसाद आयु 61 वर्ष आत्मज प्रभु जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. रामभरोस आयु 35 वर्ष आत्मज माणकचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. मूर्ति बेवा माणकचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
11. सरकार जर्ये हल्का पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
12. उप पंजियन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 20.11.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		